भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 459

दिनांक 24.07.2024 को उत्तर देने के लिए

पिछड़े जिलों का विकास

459. **श्री प्रदीप कुमार सिंह:**
श्री गोपाल जी ठाकुर:
श्री जुगल किशोर:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार तथा जम्मू और कश्मीर के पिछड़े जिलों के विकास के लिए आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) बिहार और जम्मू और कश्मीर में कितने पिछड़े जिले हैं और ऐसे जिलों के विकास के लिए नीति आयोग द्वारा क्या नीतिगत उपाए किए गए हैं;

(ग) क्या दरभंगा जिला, जो आज भी अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिला है में बड़ी संख्या में ब्लॉक और गांव विकास की मुख्य धारा से वंचित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का उक्त कारण से दरभंगा जिले को आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल करने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) अररिया और जम्मू संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में आकांक्षी खंड (ब्लॉक) कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक पिछड़े खंडों (ब्लॉकों) के लिए बनाई गई नीतियों, आवंटित निधियों और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) का लक्ष्य देश भर में अपेक्षाकृत अल्प विकसित जिलों में सामाजिक- आर्थिक विकास करना है। बिहार के 13 जिले और जम्मू और कश्मीर के 2 जिले एडीपी

का हिस्सा हैं। एडीपी के तहत, जिलों द्वारा कार्यक्रम की डेल्टा रैंकिंग पद्धति के माध्यम से प्राप्त कार्य-निष्पादन अनुदानों का उपयोग करके महत्वपूर्ण अंतरालों को दूर करने के लिए विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएं शुरू की जाती हैं। बिहार और जम्मू और कश्मीर के आकांक्षी जिलों को आबंटित कुल धनराशि ***अनुलग्नक*** के रूप में संलग्न है।

(ख) नीति आयोग जिलों के पिछड़ेपन को नहीं मापता है। हालाँकि, एडीपी के तहत जिलों को अभाव, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को मापने वाले संकेतकों के एक सेट के आधार पर चिन्हित किया गया था। इस पद्धति के माध्यम से चिन्हित किए गए 112 जिलों को आकांक्षी जिले कहा गया। इस कार्यक्रम के तहत बिहार के 13 जिले और जम्मू और कश्मीर के 2 जिले हैं।

(ग) और (घ) जैसा कि ऊपर (ख) में वर्णित है, एडीपी के तहत जिलों को संकेतकों के एक विशिष्ट सेट के आधार पर चिन्हित किया गया था। इस मापदंड के अनुसार दरभंगा एडीपी का हिस्सा नहीं है।

(ङ) और (च) वर्तमान में एडीपी के तहत सरकार किसी भी अन्य जिले को शामिल करने का प्रस्ताव नहीं कर रही है।

(छ) आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) के तहत, किसी नई नीति की परिकल्पना नहीं की गई थी। एबीपी मौजूदा नीतियों और योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से विकास को प्रोत्साहित करता है और उनकी वृद्धिशील प्रगति के आधार पर ब्लॉकों की नियमित अनुवीक्षण और रैंकिंग के लिए एक प्रमुख प्रदर्शन संकेतक ढांचे को नियोजित करता है। इसके अतिरिक्त, एबीपी ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण पर जोर देता है और कमजोर आबादी के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करने हेतु अनुरूप पहल लागू करता है।

अररिया जिले का पलासी ब्लॉक, राजौरी जिले का ख्वास ब्लॉक और रियासी जिले का ठकराकोट ब्लॉक एबीपी का हिस्सा है। कार्यक्रम के तहत इनमें से प्रत्येक ब्लॉक को अब तक 14 लाख रुपये आबंटित किए गए हैं।

*****

श्री प्रदीप कुमार सिंह: श्री गोपाल जी ठाकुर: श्री जुगल किशोर द्वारा पूछे गए पिछड़े जिलों के विकास के संबंध में 24.07.2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 459 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

बिहार और जम्मू और कश्मीर के आकांक्षी जिलों को आबंटित धनराशि

क्र.सं.	**राज्य**	**जिला**	**स्वीकृत धनराशि (करोड़ रुपए में)**
1	बिहार	अररिया	6.39
2	बिहार	औरंगाबाद	11.06
3	बिहार	बांका	14.06
4	बिहार	बेगूसराय	11.06
5	बिहार	गया	14.82
6	बिहार	जमुई	13.06
7	बिहार	कटिहार	16.06
8	बिहार	खगड़िया	32.93
9	बिहार	मुजफ्फरपुर	18.03
10	बिहार	नवादा	23.06
11	बिहार	पूर्णिया	8.06
12	बिहार	शेखपुरा	10.52
13	बिहार	सीतामढ़ी	3.06
कुल योग			**182.18**
1	जम्मू और कश्मीर	बारामूला	18.91
2	जम्मू और कश्मीर	कुपवाड़ा	6.06
कुल योग			**24.97**

*****